E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03 / 04–भू0अ0नि0(गया)आरोप–14 / 2024.13934 पटना, दिनांकः–01/10/2024

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, गया के पत्रांक 440 दिनांक 11.09.2024 द्वारा श्री शिवजी राम, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN09573) के विरूद्ध सोशल मीडिया पर वायरल / प्रसारित समाचार में इनके द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्य में किसान / रैयत से 500=00 रूपये रिश्वत प्राप्त करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि इस आरोप के विरूद्ध आरोपित से बंदोबस्त कार्यालय पत्रांक 425 दिनांक 07.09.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित का स्पष्टीकरण उनके द्वारा असंतोषप्रद पाया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनका आचरण संदिग्ध एवं संविदा कर्मी के आचरण के प्रतिकूल रहने के फलस्वरूप इनपर नियमानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित से भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 13801 दिनांक 18.09.2024 द्वारा 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि स्थानीय यू–टूबर द्वारा एक साजिश के तहत ग्रामीण विजय शंकर ठाकुर से इनके जेब में जबरदस्ती 500 का नोट डलवाया, जिसे इनके द्वारा तुरन्त श्री ठाकुर को वापस कर दिया गया है। साथ ही उल्लेखित किया गया है कि यू–टूबर द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से इन्हें मानसिक परेशान किया जाता है। साथ ही साथ इनके द्वारा अपने उपर लगाए गए आरोपों को निराधार एवं असत्य अंकित किया गया है। इस संबंध में इनके द्वारा श्री ठाकुर का घोषणा पत्र संलग्न किया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप, वायरल विडियों एवं आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया है कि इनके द्वारा जो स्पष्टीकरण में तथ्य दिया गया है, वह वायरल विडियों के विपरित है क्योंकि इनके द्वारा स्वयं राशि लेने की बात स्वीकार की गयी है एवं वायरल विडियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनके द्वारा राशि वापस की जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी कार्य के दौरान राशि का लेन–देन हुआ है। जहाँ तक स्पष्टीकरण के साथ श्री ठाकुर के घोषणा पत्र संलग्न किया गया है, उसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा बंदोबस्त कार्यालय को समर्पित स्पष्टीकरण एवं निदेशालय को समर्पित स्पष्टीकरण में स्वतः विरोधाभाष है क्योंकि इनके द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी को दिए गए स्पष्टीकरण में फार्म भरने के एवज में राशि लेने की बात अंकित की गयी है जबकि घोषणा पत्र में घर पर बुलाकर फार्म जमा करने के एवज में राशि देने की बात अंकित की गयी है। सारे तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपित भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं।

विशेष सर्वेक्षण कार्य आमजन मानस के बीच आमजनों के सहयोग से किया जाने वाला कार्य है, जिसमें ऐसे कार्यो में भ्रष्टाचार जैसा कृत्य करने वाले संविदा कर्मियों को स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाना आमजनों में विशेष सर्वेक्षण कार्य जैसे महत्वकांक्षी योजना के सुशासन (Good Governance) रूप से संचालन के विपरित होगा। ऐसे संविदा कर्मी के संविदा में रहने से इसका प्रभाव अन्य कर्मियों पर न पड़ने के दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना उचित है।

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधित नियमावली, 2022 के कंडिका–8 के आलोक में श्री शिवजी राम, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN09573) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जे0 प्रियदर्शिनी)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / 04–भू0अ0नि0(गया)आरोप–14 / 2024 13934 **पटना, दिनांक :–** 01/10/2024

प्रतिलिपि :– श्री शिवजी राम, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN09573), बंदोबस्त कार्यालय, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / 04–भू0अ0नि0(गया)आरोप–14 / 2024 13934 **पटना, दिनांक :–** 01/10/2024

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / 04–भू0अ0नि0(गया)आरोप–14 / 2024 13934 **पटना, दिनांक :–** 01/10/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत इनकी व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप